



# ‘हालांकि, भाजपा की सरकार है, हम जातिगत जनगणना का विधेयक पास करायेंगे?’

**राहुल गांधी ने लोकसभा में यह उद्घोष करके चुनौती दी सरकार को**

- रेणु मित्तल -

नई दिल्ली 29 जुलाई। राहुल गांधी उस समय पूरे जोश-खरोश में दिखाई दिये, जब वे लोकसभा में बजट पर बोलते थे और हुये। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया, बजट की अलाचना की तथा भाजपा को चुनौती देते हुये कहा कि देश में भेंटे ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन जातिगत सर्वे कराने वाला विधेयक तो पारित होगा।

भाजपा को बिल्कुल स्वतंत्र करते हुए, राहुल ने दो दूसरे शब्दों में कह दिया कि सत्तारूढ़ दल की देश की बजट 73 प्रतिशत जनसंख्या की कीमत चिन्ह नहीं है। इस 73 प्रतिशत हिस्से में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब व तथा गरीबों में पद-दलित वर्ग के लोग आते हैं।

उन्होंने कहा कि ये 73 प्रतिशत लोग यह जानना चाहते हैं कि देश की सत्ता में उनका क्या हिस्सा है तथा वे इस तथा उनको क्या हिस्सा कैसे

- राहुल का तर्क था कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से, 73 प्रतिशत को शिकायत है कि, दलित, बैंकर्ड, अल्पसंख्यक, आदिवासी, निर्धन से सरकार को कोई सहानुभूति नहीं है।
- अतः 73 प्रतिशत जनसंख्या यह जानना चाहती है कि उनकी सत्ता में कितनी भागीदारी है और वो कैसे लाभान्वितों की श्रेणी में आ सकते हैं और सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं।
- राहुल गांधी ने यह कठाक भी किया कि वो बीस अफसर, जिन्होंने बजट तैयार किया है, उस उपेक्षित 73 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- इन अफसरों ने बजट के पहले हलवा बनाने की प्रक्रिया तो पूरी की, पर, वह हलवा वंचित जनसंख्या में नहीं बांटा।
- राहुल ने स्पीकर से यह भी कहा कि प्रतकारों को उस शीशे के पिंजरे से आजाव करें, क्योंकि वे अब सांसदों, मंत्रियों से लोकसभा के प्रवेश द्वार पर ‘बाहूद’ नहीं ले सकते, क्योंकि, वो केवल वही रिपोर्ट कर सकते हैं, जो पिंजरे से दिखता है।

हो सकते हैं। उन्होंने साफ-साफ कहा कि अफसरों के साथ वित्तमंत्री का जिस चक्रव्यूह में अभिमन्तु धेर लिया गया है और उसे बिजली लाइन का शट डाउन प्राप्त करने का कोई भी अधिकार नहीं था। उसे केवल जी.एस.एस. परिसर में ही काम करने के लिए संविधान पर रखा था, लेकिन उसने अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर अवैध तौर पर बिजली लाइन का काम जिस चक्रव्यूह में अभिमन्तु धेर लिया गया है, उसका नियन्त्रण छ: लोग कर रहे हैं, उन्होंने इस सभी जातियों और वर्गों लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी रहे हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष ने अडाणी अवादी के साथ साझा नहीं किया गया परिवार के अपने प्रिय विषय को एक बजट-पूर्व तैयार किये हलवा को इस राहुल ने अंबानी तथा अडाणी तथा अवादी के नाम लेने पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब वे वर्ष अंतिम पृष्ठ पर।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘देश में भय का माहौल है, पर, हम भाजपा के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करेंगे’

**राहुल गांधी ने लोकसभा में यह भी कहा कि चक्रव्यूह को नष्ट करने के प्रयास में अभिमन्तु मारा गया था, हम अभिमन्तु नहीं, अर्जुन हैं, जो अपने प्रयास में पूर्णतया सफल होगा**

- डॉ. सतीश मिश्रा -

नई दिल्ली 29 जुलाई। विषयक के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की नीतियों पर प्रतार करने के लिए महाभारत की लोकप्रिय कहानी का हवाला देकर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों, विविधर्थकों, मध्यम व लघु व्यवसायों, तथा मध्यम वर्ग की जनता की लालीकों के लिए जिम्मेदार है।

गांधी ने हिंदी जो भारत के एक बड़े तबके की भागी है, में बोलते हुए कहा, “परंतु वे लोग अभिमन्तु की तरह नहीं हैं, ये तो कानूनी और वे लोग चक्रव्यूह को आड़ देंगे।”

बजट सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के कक्षीयों की तुलना प्राचीन भारत के “चक्रव्यूह” की संरचना से कही कि महाभारत के अंतुके जान से मार दिया था। राहुल ने अंबानी व अडाणी व अवादी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी व अडाणी, भारत की 73 प्रतिशत दलित जनता के साथ करना चाहते हैं।

गांधी ने कहा कि “हजारों वर्ष पूर्व कर यह निर्धारण किताली कि “चक्रव्यूह” कुरक्षेतरे के युद्ध में छ: लोगों ने अभिमन्तु को पदम व्यूह” नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है “कमल खराब”。 और उसके जान से मार दिया था। राहुल ने चक्रव्यूह कमल की आकृति में बनाया ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर शोध

- राहुल गांधी ने इस कथन को आगे ले जाते हुए यह भी कहा कि, मैंने चक्रव्यूह के बारे में काफी रिसर्च की है और यह पाया है कि उस महाभारत के चक्रव्यूह का नाम “पदम व्यूह” भी है, जिसका मतलब, इसका स्वरूप कमल जैसा है।
- “आज इक्कीसवीं सदी का चक्रव्यूह भी कमल के आकार का है, जिसे प्र.मंत्री ने अपनी छाती पर धारण किया हुआ है।”
- तथा, जिन छ: कौरव महारथियों ने अभिमन्तु को धेर कर मार दिया था, वही आज भाजपा के महारथी नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी व अडाणी, भारत की 73 प्रतिशत दलित जनता के साथ करना चाहते हैं।

ओ.एम.आर. शीट को जांचने का काम मराने करती है और इसमें अधूरे छोड़े गए गोलों को मराने नहीं पढ़ सकती है। इसके अलावा न्यूप्रीम एक भी छोड़े गए गोलों को पूरा भरने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी।

### ‘निर्देशों का पालन भर्ती एजेंसी और परीक्षार्थी का दायित्व’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा भर्ती-2024 से जड़े मालिके में कहा है कि प्रतिवर्षीय परीक्षा के निर्देशों की पालन करना भर्ती एजेंसी व परीक्षार्थी दोनों का ही दायित्व है। भर्ती परीक्षा की

- हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए आर.जे.एस. परीक्षा के अध्यक्षीय पालन व अन्य की याचिका दायित्व कर दी। इन अध्यक्षीयों ने ओ.एम.आर. शीट में अद्यूरे भर गोलों को पूरा भरने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी।

ओ.एम.आर. शीट को जांचने का काम खुले हुए है और इसमें अधूरे छोड़े गए गोलों को मराने नहीं पढ़ सकती है। इसके अलावा न्यूप्रीम एक भी छोड़े गए गोलों को पूरा भरने की अपरोक्ष लगाया है। उन्होंने राज्य के अधिकारीय विषय पर शोध किया है। इसके अलावा न्यूप्रीम एक भी छोड़े गए गोलों को पूरा भरने की अपरोक्ष लगाया है। उन्होंने राज्य के अधिकारीय विषय पर शोध किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### ‘ऑफ इयूटी काम में करंट लगने पर क्लेम नहीं मिलेगा’

जयपुर, 29 जुलाई (का.सं.)। जिले की स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग के संविधान कर्मी का 90.50 लाख रुपए का क्लेम दायर किया है। लोक अदालत ने फैसले में कहा कि परिवार द्वारा देने से इनकार करते हुए उसके 90.50 लाख रुपए का क्लेम दायर किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

**सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने का झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश बरकरार रखा तथा ई.डी. की याचिका दायरिज कर दी**

-डॉ. सतीश मिश्रा -

नई दिल्ली, 29 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को झारखण्ड राज्य प्रदर्शन को हेमंत सोरेन को बड़ी राहत के सूचनाल से लाभान्वित कर दिया था। सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री के पद से छुटे दिया था। इन रेस में जमानत मिलने के बाद जेल में रही राहत हो गई। और तो आगे आया था कि जमानत मिलनी वाली जारी रखा गया। इन रेस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने पर 04 जुलाई को सोरेन ने पुनः सुमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ई.डी. के बिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायरिज कर दी।

मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष को भारी राहत मिली है। जिले ने 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद जेल से बाहर आने पर 04 जुलाई को सोरेन को बड़ी राहत दी। राज्य सेवा के साथ विभाग के बाद जेल से बाहर आने पर 04 जुलाई को सोरेन ने पुनः सुमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ई.डी. के बिल ने हाईकोर्ट में कहा था कि अगर सोरेन को जमानत दी गई तो वे ऐसे ही अपराध पुनः करेंगे। उन्होंने ई.डी. के बिलाक एस.सी.एस.